तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	~~पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर दौरे मे व्यस्त रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली बाबिक कार्यवाही हेतु दिनांक............ को पेश हों।~~
27.02.25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

...ालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

...संख्या 63/2023 — पीठासीन अधिकारी
...दिनांक 28.07.2023 — श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. भंवरलाल आ0 रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
2. भरोसी बेवा रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. कालूलाल आ0 रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
4. सुरेश आ0 रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

—वादीगण

बनाम

1. शम्भूलाल आ0 गोपाल जाति गुर्जर निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
2. हेमराज आ0 कल्याण जाति गुर्जर निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
3. हनुमान आ0 लटूर जाति मीना निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
4. मोरपाल आ0 गोपाल जाति मीना निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
5. आशाराम आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
6. रमेश आ0 केसरा जाति गुर्जर निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
7. गिरीजा पुत्री रामलाल पत्नी विमला जाति धाकड़ निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी, राज0।
8. मीना पुत्री रामलाल पत्नी सीताराम जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक, राज0।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आ0टी0एक्ट0

दिनांकः—27.02.2025

<u>निर्णय</u>

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 188 का प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 194 रकबा 0.27है0 वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसके खातेदार वादीगण है। उक्त कृषि भूमि के पश्चिम साईड में गै0मु0 नाला है जो कि दक्षिण से उत्तर है लेकिन नाले के पास ही पूर्वी साईड में वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसके चारों ओर तारबंदी हो रही है। उक्त भूमि के उत्तरी साईड में गै0मु0 शमशान की भूमि है जो कि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ख्या 193 रकबा 0.44है0 है। इस शमशान की भूमि पर आने जाने के का रास्ता गै0मु0 नाला है इसी से गांव के लोग आते जाते है। प्रतिवादीगण 1 ता0 6 दादागिरी के बल पर वादीगण की कृषि भूमि की पश्चिमी मेड़ को जबरदस्ती ही तौडकर नाले के सहारे सहारे रास्ता निकालने पर आमादा हो रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा जबरन खेत की तारबंदी व जालियों को तोड दिया और मारने पीटने की धमकियां लगातार दे रहे है यही वाद कारण है जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती ही रास्ता निकाले जबकि वहां पहले से ही नाला में रास्ता मौजूद है तथा गै0मु0 नाला का सीमाज्ञान भी हो चुका है जिसमें वादीगण की भूमि की तरफ कोई भूमि नहीं निकली है। वादीगण की कृषिभूमि पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय में वाद दायर कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। अन्त में निवेदन किया गया है कि वाद ग्रस्त आराजी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पत्रावली में वादी भंवरलाल के साक्ष्य करावाये गए। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 20 वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ पेश की। पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। वादीगण अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 194 रकबा 0.27है0 वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ वादीगण के खाते की भूमि जिस पर से होकर कोई रास्ता नहीं है परन्तु प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 जबरन वादीगण के खेत की तारबन्दी व जालिया तोड कर जबरन रास्ता निकालने पर उतारू है जबकि पहले से गै0मु0 नाले में रास्ता बना हुआ है। प्रतिवादीगण को वादीगण के खाते की भूमि पर जबरन रास्ता निकाल कर कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता0 6 जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे कि वे वाद विषयक आराजी के पश्चिम साईड की मेर को नष्ट कर जबरदस्ती रास्ता नहीं निकाले व तारबंदी नहीं तोड़े व फसल को नष्ट नहीं करे और किसी प्रकार की कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपस्थित नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 20 वाके ग्राम रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ के अवलोकन यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 194 रकबा 0.27है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7,8 के सहखाते की कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 अजनबी व्यक्ति है जिसका उक्त भूमि में दखलंदाजी करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है। प्रतिवादी सं 1 ता0 6 द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित होकर वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों के विरोध में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है जिससे यह प्राथमिक दृष्ट्या जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के खाते की उक्त प्रश्नगत आराजी पर मेड तोडकर रास्ता निकलाना चाहते है। प्रश्नगत आराजी के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। उक्त प्रश्नगत आराजी पर सप्रतिवादी संख्या 1 ता0 6 को कोई कानूनन अधिकार नहीं है कि वे सक्षम स्तर से रास्ते के संबंध बिना कानून कार्यवाही करें वादीगण के कब्जे काश्त में दखलांदाजी कर जबरन रास्ता निकाले। हमारे मत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी कृषिभूमि खसरा संख्या 193 रकबा 0.44है0 की पश्चिमी मेड नष्ट कर जबरन रास्ता नहीं निकाले एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.. मुकाम............लाखेरी..........................

व इजलास........श्रीमती भावना सिंह(आर०ए०एस)...

1 भंवरलाल आ0 रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2.मरोसी बेवा रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।वगै0
—वादीगण

बनाम

1.मम्मूलाल आ0 गोपाल जाति गुर्जर निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।
2.हेमराज आ0 कल्याण जाति गुर्जर निवासी रकसपुरा इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत 188 आर0टी0एक्ट
सन् ....

मुकदमा नम्बर 63/दावा/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे..........व हाजिरी .....वादीगण अधिवक्ता महेन्द्र रेवारी ......मिनजानिव मुदई रूबरू...प्रतिवादीगण...................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि —

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी कृषिभूमि खसरा संख्या 193 रकबा 0.44है0 की पश्चिमी मेड नष्ट कर जवरन रास्ता नहीं निकाले एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें।

निज.......................................मुवलिग..बावत..

................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद वशरह ....

..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 02 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

2. कालूलाल आ0 रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जि...
3. सुरेश आ0 रामलाल जाति धाकड़ निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

—वादीगण

बनाम

3.हनुमान आ0 लटूर जाति मीना निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

4.मोरपाल आ0 गोपाल जाति मीना निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

5.आशाराम आ0 प्रभूलाल जाति मीना निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

6.रमेश आ0 केसरा जाति गुर्जर निवासी रकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

7.गिरीजा पुत्री रामलाल पत्नी विमला जाति धाकड़ निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी, राज0।

8.मीना पुत्री रामलाल पत्नी सीताराम जाति धाकड़ निवासी रतनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक, राज0।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)